संख्या-135/2022/1120/003-23-9-2022-01एससीपी-2019

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती, बदायूं।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2022

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 07 चालू कार्यो के अवशेष आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अपने पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत जनपद श्रावस्ती एवं बदायूं के कुल 07 चालू कार्यो हेतु स्तम्भ-10 के अनुसार रू0 1,86,62,000/- (रूपये एक करोड़ छियासी लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक आवंटित् धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1907/मांग/अनुदान सं0-83/2022, दि0 17.09.2022	श्रावस्ती	नाऊपुरवा सम्पर्क मार्ग	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/ 2019, दि0 13.11.2019	57.53	28.57	0.47	28.49	28.49
2	1907/मांग/अनुदान सं0-83/2022, दि0 17.09.2022	श्रावस्ती	मुस्काबाद पश्चिमी सम्पर्क मार्ग	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/ 2019, दि0 13.11.2019	63.56	31.56	0.65	31.35	31.35
3	1907/मांग/अनुदान सं0-83/2022, दि0 17.09.2022	श्रावस्ती	कटही सम्पर्क मार्ग	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/ 2019, दि0 13.11.2019	53.74	26.69	0.42	26.63	26.63
4	1907/मांग/अनुदान सं0-83/2022, दि0 17.09.2022	श्रावस्ती	रमवापुर माफी सम्पर्क मार्ग	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/ 2019, दि0 13.11.2019	54.15	26.89	0.46	26.80	26.80
5	1908/एस0सी0पी0/2022, दि0 17.09.2022	श्रावस्ती	भारीगांव सम्पर्क मार्ग।	45/2018/आ0-21/23-9-2018-01एससीपी/2018, दि0 06.07.2018	14.89	7.45	0.09	7.35	7.35
6	1601/1-सी, दि0 02.08.2022,	बदायूं	समरेर कमां कुण्डरा खरसाई मार्ग के कि0मी0 15 से पलौरा सम्पर्क मार्ग।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/ 2019, दि0 13.11.2019	9.43	4.68	0.01	4.74	4.74
7	1601/1-सी, दि0 02.08.2022,	बदायूं	सदनपुर मकरन्दपुर खाम सम्पर्क मार्ग।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एससीपी/ 2019, दि0 13.11.2019	123.09	61.13	0.70	61.26	61.26
				योग					**186.62**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त योजनान्तर्गत निर्माणधीन कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त मार्गों के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,86,62,000 (रुपये एक करोड़ छियासी लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892800 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

संख्या-135/2022/1120(1)/003-23-9-2022-01एससीपी-2019 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रावस्ती/बदायूं।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।
6- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।
7- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।
8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो01नि0वि0, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8
11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
13- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in